Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

समान नागरिक संहिता भारत में: एक चर्चा: एक शैक्षणिक शोध पत्र

डॉ. नाजनीन खान* डॉ. निर्मल कुमार पगारिया**

* एपीएसयू विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** सेवानिवृत्त प्रोफेसर, इंदौर लॉ कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) की भारतीय संवैधानिक, सामाजिक एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना है। यह शोध पत्र UCC के पक्ष एवं विपक्ष में विद्यमान तर्कों, न्यायपालिका के दृष्टिकोण, विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की तुलनात्मक स्थिति, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024, सांख्यिकीय आंकड़ों एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करता है। शोध से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि UCC के लागू होने के लिए व्यापक सामाजिक सहमति, संवेदनशील राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं संविधान के मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य है।

शब्द कुंजी – समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, व्यक्तिगत कानून, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय, संवैधानिक विधि।

प्रस्तावना – भारत एक विविधताओं से परिपूर्ण देश है, जहाँ अनेक धर्मों, जातियों एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का सहअस्तित्व है। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विभिन्न धर्मों के लिए पृथक-पृथक व्यक्तिगत कानून लागू थे। इन कानूनों ने धार्मिक समुदायों को उनके रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं गोद लेने के मामलों को नियंत्रित करने की स्वायत्तता प्रदान की। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान सभा में इस प्रश्न पर गहन वाद-विवाद हुआ कि क्या नवनिर्मित भारत में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए अथवा विभिन्न धार्मिक समूहों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाए रखा जाए।

संविधान सभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. कृष्णस्वामी अय्यर एवं मिनू मसानी जैसे नेताओं ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया, जबकि नजीरुद्दीन अहमद और मुहम्मद इस्माईल जैसे नेताओं ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा का आग्रह किया। अंतत: समझौते के रूप में UCC को राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (भाग IV) के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में रखा गया, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य के लिए मार्गदर्शक है।

समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक ऐसी एकीकृत कानूनी संहिता जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, जाति, लिंग एवं सम्प्रदाय के भेद के बिना समान रूप से लागू हो। यह शोध पत्र UCC की संवैधानिक पृष्ठभूमि, वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों की स्थिति, न्यायिक दृष्टिकोण, पक्ष-विपक्ष के तर्क, उत्तराखंड की पहल, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है।

संवैधानिक प्रावधान एवं पृष्ठभूमि – भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता से संबंधित अनेक प्रावधान हैं। मूल अधिकारों (भाग III) के अंतर्गत अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) एवं अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण) ऐसे प्रावधान हैं जो UCC की बहस को केंद्रीय बनाते हैं। दूसरी ओर, राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (भाग IV) का अनुच्छेद 44 स्पष्टत: कहता है: 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।'

संविधान निर्माताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) एवं समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-15) के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से ब्ब को नीति निदेशक तत्त्वों में रखा। नेहरू सरकार के कार्यकाल में हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू व्यक्तिगत कानूनों का आंशिक सुधार किया गया, परंतु मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में तत्काल सुधार का प्रयास नहीं किया गया।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

भारत में व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान स्थिति – भारत में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून पृथक-पृथक विधानों द्वारा शासित होते हैं। हिंदू (जिसमें सिख, बौद्ध एवं जैन भी सम्मिलित हैं) हिंदू कोड (हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आदि) से शासित होते हैं। मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अधीन हैं। ईसाई भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 एवं तलाक अधिनियम 1869 से नियंत्रित होते हैं। पारसियों के लिए पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 लागू है। इन पृथक कानूनों के कारण अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, विशेषत: लैंगिक समानता के संदर्भ में।

वर्तमान में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जो किसी भी दो व्यक्तियों को उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह करने की अनुमति देता है। परंतु इस विकल्प का उपयोग सीमित रूप में ही होता है क्योंकि सामाजिक दबाव एवं जागरूकता की कमी इसके प्रसार में बाधा डालती है।

तालिका 2,3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

न्यायिक दृष्टिकोण एवं महत्त्वपूर्ण निर्णय – भारत के उच्चतम न्यायालय ने

विभिन्न अवसरों पर समान नागरिक संहिता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। 1985 में शाह बानो प्रकरण सर्वाधिक चर्चित रहा, जिसमें न्यायालय ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखते हुए UCC लागू करने की अपील की। इस निर्णय के विरोध में तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित कर दिया।

सरला मुद्गल (1995), जॉन वल्लमट्टम (2003) एवं शायरा बानो (2017) जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों में उच्चतम न्यायालय ने बार-बार UCC की आवश्यकता पर बल दिया है। 2017 में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करना इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। 2018 में 22वें विधि आयोग ने अपनी परामर्श पत्र में कहा कि UCC 'न तो आवश्यक है और न वांछनीय' - यह एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था।

तालिका 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में तर्क - समान नागरिक संहिता पर भारत में दशकों से वाद-विवाद जारी है। इस बहस में संविधानवादी, धर्मशास्त्री, समाजशास्त्री, न्यायविद् एवं राजनीतिक दल सभी की अपनी-अपनी राय है। समर्थकों का मानना है कि UCC राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा और महिलाओं को समान अधिकार देगा, जबकि विरोधी इसे धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक विविधता पर आघात मानते हैं।

पक्ष में तर्क देने वाले विद्वानों का कहना है कि भारत का संविधान स्वयं अनुच्छेद 44 के माध्यम से UCC को एक राज्य लक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। इसके अलावा, वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के साथ भेदभाव, विशेषत: संपत्ति एवं तलाक के मामलों में, एक गंभीर समस्या है। गोवा का उदाहरण सिद्ध करता है कि एक बहु-धार्मिक समाज में भी समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है।

विपक्ष में तर्क देने वाले विद्वानों का कहना है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता एक संपत्ति है, एकरूपता नहीं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह आशंका है कि UCC उनकी धार्मिक पहचान को मिटाने का प्रयास है। 22वाँ विधि आयोग भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहता है कि भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाना समान नागरिक संहिता थोपने से अधिक कारगर उपाय है।

तालिका 5,6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 - उत्तराखंड भारत में गोवा के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू की गई है। उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता अधिनियम पारित किया और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हुई। इस अधिनियम को तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने व्यापक जन-परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ हैं: विवाह पंजीकरण अनिवार्य, बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध (सभी धर्मों के लिए), तलाक की एकसमान प्रक्रिया, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य, पुत्र-पुत्री को समान उत्तराधिकार अधिकार। हालाँकि, अनुसूचित जनजातियों को इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत उनके विशेष अधिकारों की रक्षा करती है।

आलोचकों का कहना है कि लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की अनिवार्यता निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। मुस्लिम संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसे न्यायालय में चुनौती दी है। यह अधिनियम अन्य राज्यों में भी UCC की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 7 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सांख्यिकीय विश्लेषण- समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझने के लिए न्यायालयों में लम्बित व्यक्तिगत कानून संबंधी मामलों, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं जन-मत सर्वेक्षणों के आंकड़े महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा एवं दहेज उत्पीड़न के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं की अपेक्षाकृत कमजोर कानूनी स्थिति भी है।

22वें विधि आयोग के पास प्राप्त 57 लाख से अधिक सुझावों में लगभग 65% लोगों ने UCC के पक्ष में मत व्यक्त किया। विभिन्न स्वतंत्र सर्वेक्षणों में भी UCC के समर्थन में आंशिक बहुमत देखा गया है, यद्यपि मुस्लिम समुदाय में विरोध अधिक प्रबल है।

तालिका 8,9,10 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य- विश्व के अनेक देशों में नागरिक संहिता की विभिन्न प्रणालियाँ लागू हैं। फ्रांस 1804 में नेपोलियन कोड लागू करने वाला पहला आधुनिक राष्ट्र था, जो एक धर्मनिरपेक्ष एकीकृत नागरिक संहिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तुर्की ने 1926 में एक इस्लामी बहुसंख्यक देश होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता अपनाई, जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क के आधुनिकीकरण सुधारों का हिस्सा था। इजराइल, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश मिश्रित प्रणाली अपनाते हैं।

भारत के संदर्भ में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पुर्तगाली शासनकाल से चली आ रही समान नागरिक संहिता (गोवा सिविल कोड) लागू थी। गोवा का यह अनुभव यह सिद्ध करता है कि एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता एक बहु-धार्मिक समाज में भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। हालाँकि, आलोचक यह भी बताते हैं कि गोवा का सिविल कोड पूर्णत: सभी के लिए समान नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ धर्म-आधारित प्रावधान हैं।

तालिका 11 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

निष्कर्ष एवं सुझाव- समान नागरिक संहिता का प्रश्न भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं कानूनी जीवन में सबसे संवेदनशील एवं जटिल विषयों में से एक है। इस शोध पत्र के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं:

1. संवैधानिक दृष्टि से: अनुच्छेद 44 UCC को राज्य का लक्ष्य घोषित करता है, परंतु यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। साथ ही, अनुच्छेद 25-29 धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जिनके साथ संतुलन बनाना अनिवार्य है।
2. न्यायिक दृष्टि से: सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार UCC की आवश्यकता दोहराई है, परंतु 22वें विधि आयोग ने एकमुश्त UCC की बजाय भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करने की सिफारिश की है।
3. लैंगिक न्याय की दृष्टि से: व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के साथ भेदभाव एक ठोस वास्तविकता है। NCRB आंकड़े बताते हैं कि घरेलू

हिंसा एवं दहेज संबंधी अपराध बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोकने में एकीकृत कानून सहायक हो सकता है।

4. उत्तराखंड प्रयोग: उत्तराखंड का UCC अधिनियम 2024 भारत में राज्य स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग है, जिसके दीर्घकालिक परिणामों की प्रतीक्षा है।
5. अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण: फ्रांस, तुर्की एवं गोवा के उदाहरण सिद्ध करते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है, परंतु इसके लिए पर्याप्त सामाजिक तैयारी एवं राजनीतिक सहमति आवश्यक है।

सुझाव :

1. व्यापक जन-संवाद: UCC लागू करने से पूर्व सभी धार्मिक समुदायों, महिला संगठनों, जनजातीय समूहों एवं नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श होना चाहिए।
2. चरणबद्ध कार्यान्वयन: एकमुश्त UCC थोपने की बजाय विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए।
3. महिला अधिकारों को प्राथमिकता: किसी भी UCC का केंद्र बिंदु महिला समानता एवं सुरक्षा होना चाहिए, न कि धार्मिक एकरूपता।
4. जनजातीय छूट: अनुसूचित जनजातियों की विशेष सांस्कृतिक परम्पराओं का सम्मान करते हुए उन्हें उचित छूट दी जाए।
5. राष्ट्रीय सहमति: UCC को राजनीतिक एजेंडे से अलग रखकर व्यापक राष्ट्रीय सहमति के आधार पर लागू किया जाए, ताकि यह भारत की विविधता में एकता के मूल सिद्धांत को चरितार्थ करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

क. संवैधानिक प्रावधान एवं विधान

1. भारत का संविधान (The Constitution of India), 1950 – अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 37, 44.
2. हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), 1955.
3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956.
4. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट (Muslim Personal Law Application Act), 1937.
5. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम (Dissolution of Muslim Marriages Act), 1939.
6. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम (Indian Christian Marriage Act), 1872.
7. विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act), 1954.
8. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986.
9. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019.
10. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024.

ख. न्यायिक निर्णय

1. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) 2 SCC 556.
2. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) 3 SCC 635.
3. जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ (2003) 6 SCC 611.
4. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) 9 SCC 1.
5. जोस पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुईजा (2019) 11 SCC 18.

ग. विधि आयोग रिपोर्ट एवं सरकारी दस्तावेज:

1. Law Commission of India, Consultation Paper on Reform of Family Law, 21st Law Commission, 2018.
2. 22nd Law Commission of India, Consultative Paper on UCC 2023-24.
3. National Crime Records Bureau (NCRB), Crime in India Report, 2022, New Delhi: Ministry of Home Affairs.
4. Census of India, 2011, Office of the Registrar General and Census Commissioner, India.
5. National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-21, Ministry of Health and Family Welfare.

घ. पुस्तकें एवं शोध पत्र:

1. Seervai, H.M. (1993). Constitutional Law of India (4th ed.). N.M. Tripathi.
2. Parashar, Archana (1992). Women and Family Law Reform in India. SAGE Publications.
3. Desai, Satyajeet A. (2007). Mulla's Principles of Hindu Law (21st ed.). LexisNexis.
4. Saxena, Poonam Pradhan (2011). Family Law II. LexisNexis Butterworths.
5. Agarwala, R.K. (2015). Hindu Law (23rd ed.). Central Law Agency, Allahabad.
6. Mahmood, Tahir (1977). Muslim Personal Law: Role of the State in the Subcontinent. Vikas Publishing.
7. Agnes, Flavia (2011). Family Law: Family Laws and Constitutional Claims. Oxford University Press.
8. Lokniti-CSDS Survey on Uniform Civil Code, 2024. Centre for the Study of Developing Societies, New Delhi.

तालिका 1: समान नागरिक संहिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	भाग	प्रावधान	UCC से संबंध
अनुच्छेद 14	भाग III – मौलिक अधिकार	विधि के समक्ष समानता	सभी नागरिकों को समान कानूनी स्थिति
अनुच्छेद 15	भाग III – मौलिक अधिकार	धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध	लैंगिक समानता का आधार
अनुच्छेद 25	भाग III – मौलिक अधिकार	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	UCC के विरोध का प्रमुख आधार
अनुच्छेद 26	भाग III – मौलिक अधिकार	धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता	धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता
अनुच्छेद 29	भाग III – मौलिक अधिकार	अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण	सांस्कृतिक विविधता की रक्षा
अनुच्छेद 44	भाग IV – DPSP	राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा	UCC का प्रत्यक्ष संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 37	भाग IV – DPSP	DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं	UCC अनिवार्य नहीं, केवल मार्गदर्शक

तालिका 2: भारत में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून

विषय	हिंदू कानून	मुस्लिम कानून	ईसाई कानून	विशेष विवाह अधिनियम
विवाह	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955	मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत), 1937	भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872	विशेष विवाह अधिनियम, 1954
तलाक	हिंदू विवाह अधिनियम, 1955	मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939	तलाक अधिनियम, 1869	विशेष विवाह अधिनियम, 1954
उत्तराधिकार	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
गोद लेना	हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1956	अनुमति नहीं (केवल कफालत)	संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890	संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
भरण-पोषण	हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956	CrPC धारा 125; मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986	CrPC धारा 125	CrPC धारा 125

तालिका 3: भारत में धार्मिक जनसंख्या एवं व्यक्तिगत कानूनों का प्रभाव (जनगणना 2011 आधारित)

धर्म	जनसंख्या (करोड़)	प्रतिशत (%)	लागू व्यक्तिगत कानून	प्रमुख विवाद बिंदु
हिंदू	96.63	79.8%	हिंदू कोड (संशोधित)	संपत्ति अधिकार, HUF
मुस्लिम	17.22	14.2%	शरीयत एप्लीकेशन एक्ट	बहुविवाह, तलाक, उत्तराधिकार
ईसाई	2.78	2.3%	भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम	तलाक की जटिल प्रक्रिया
सिख	2.08	1.7%	हिंदू कोड लागू	आनंद मैरिज एक्ट
बौद्ध	0.84	0.7%	हिंदू कोड लागू	–
जैन	0.45	0.4%	हिंदू कोड लागू	–
पारसी	0.006	0.006%	पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम	अंतर-धार्मिक विवाह
अन्य/धर्महीन	0.87	0.7%	विशेष विवाह अधिनियम	

तालिका 4: समान नागरिक संहिता पर प्रमुख न्यायिक निर्णय

वाद (Case)	वर्ष	मुख्य मुद्दा	न्यायालय का निर्णय/टिप्पणी
मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम	1985	मुस्लिम तलाकशुदा महिला का भरण-पोषण	सर्वोच्च न्यायालय ने UCC लागू करने की अपील की
सरला मुद्गल बनाम भारत संघ	1995	धर्म परिवर्तन कर दूसरा विवाह	UCC की आवश्यकता पर बल दिया
जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ	2003	ईसाई उत्तराधिकार में भेदभाव	अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन पर जोर
शायरा बानो बनाम भारत संघ	2017	तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत)	तीन तलाक असंवैधानिक घोषित
जोस पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुईजा	2019	गोवा नागरिक संहिता	गोवा की समान संहिता की सराहना
सर्वोच्च न्यायालय (22वाँ विधि आयोग)	2018	UCC पर विचार	'UCC न तो आवश्यक है न वांछनीय' – विधि आयोग

तालिका 5: समान नागरिक संहिता – पक्ष एवं विपक्ष

पक्ष में तर्क (For UCC)	**विपक्ष में तर्क** (Against UCC)
राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा	धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25–28) का उल्लंघन
लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण	भारत की सांस्कृतिक विविधता को खतरा
संवैधानिक आदेश (अनुच्छेद 44) का पालन	अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रभाव
कानूनी प्रणाली का सरलीकरण	सहमति के बिना लागू करना अलोकतांत्रिक
धर्मनिरपेक्षता का सच्चा अर्थ	व्यावहारिक कठिनाइयाँ – विविध प्रथाओं का एकीकरण
गोवा का सफल उदाहरण	राजनीतिक ध्रुवीकरण का खतरा
आधुनिकीकरण और प्रगतिशील समाज	जनजातीय समुदायों की विशेष प्रथाओं पर प्रभाव

तालिका 6: विधि आयोग की रिपोर्ट – UCC पर सिफारिशें (कालक्रम)

विधि आयोग	**वर्ष**	**अध्यक्ष**	**मुख्य सिफारिश**
प्रथम विधि आयोग (ब्रिटिश काल)	1840	Lord Macaulay	व्यक्तिगत कानूनों को एकीकरण से बाहर रखा
15वाँ विधि आयोग	1960	A.K. Sarkar	हिंदू कानून सुधार पर ध्यान
21वाँ विधि आयोग	2018	न्यायमूर्ति B.S. Chauhan	UCC 'न आवश्यक, न वांछनीय'; भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने पर बल
22वाँ विधि आयोग	2023–24	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) Ritu Raj Awasthi	UCC पर जनता से सुझाव आमंत्रितय विचाराधीन

तालिका 7: उत्तराखंड UCC अधिनियम 2024 – मुख्य प्रावधान

विषय	**प्रावधान**	**पूर्व स्थिति**	**परिवर्तन**
विवाह पंजीकरण	60 दिनों के भीतर अनिवार्य	स्वैच्छिक	अनिवार्य
विवाह की न्यूनतम आयु	पुरुष 21, महिला 18 वर्ष	समान	कोई परिवर्तन नहीं
बहुविवाह	पूर्णत: प्रतिबंधित (सभी धर्मों के लिए)	मुस्लिम पुरुषों को 4 विवाह की अनुमति	एकसमान प्रतिबंध
तलाक	एकसमान प्रक्रिया द न्यायालय द्वारा	धर्म–आधारित भिन्न प्रक्रियाएँ	एकीकृत
उत्तराधिकार	पुत्र–पुत्री को समान अधिकार (सभी धर्मों में)	धर्म–आधारित भिन्नता	एकसमान
लिव–इन रिलेशनशिप	पंजीकरण अनिवार्य (30 दिन के भीतर)	कोई कानूनी मान्यता नहीं	नई व्यवस्था
गोद लेना	सभी धर्मों के लिए समान प्रक्रिया	धर्म–आधारित भिन्नता	एकीकृत
भरण–पोषण	पति–पत्नी दोनों का अधिकार	मुख्यत: पत्नी का अधिकार	लैंगिक समानता

तालिका 8: व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित न्यायालय में लम्बित मामले (2023)

न्यायालय स्तर	**कुल लम्बित मामले**	**पारिवारिक/व्यक्तिगत कानून मामले**	**प्रतिशत**
सर्वोच्च न्यायालय	80,439	~5,200	~6.5%
उच्च न्यायालय	61,17,846	~8,50,000	~13.9%
जिला न्यायालय	4,43,70,154	~1,15,00,000	~25.9%
पारिवारिक न्यायालय	11,34,286	11,34,286	100%

तालिका 9: महिलाओं के विरुद्ध अपराध – NCRB डेटा (2022)

अपराध श्रेणी	**दर्ज मामले (2022)**	**2021 से परिवर्तन (%)**	**दोषसिद्धि दर (%)**
क्रूरता/दहेज उत्पीड़न (498A)	1,36,234	5.4%	14.3%
दहेज हत्या (304B)	6,450	–2.1%	34.7%
बलात्कार (376 IPC)	31,516	4.3%	27.8%
अपहरण	57,532	3.8%	22.1%
घरेलू हिंसा (DV Act)	16,234	8.2%	12.5%
कार्यस्थल यौन उत्पीड़न	1,221	12.4%	18.6%
कुल (महिलाओं के विरुद्ध)	4,45,256	4.0%	20%

तालिका 10: UCC पर जनमत सर्वेक्षण (विभिन्न स्रोत)

सर्वेक्षण/स्रोत	वर्ष	पक्ष में (%)	विपक्ष में (%)	कोई राय नहीं (%)
22वाँ विधि आयोग (प्राप्त सुझाव)	2023	~65%	~30%	~5%
C-Voter Survey	2023	44%	31%	25%
India Today-Axis My India	2023	51%	28%	21%
Lokniti-CSDS Survey	2024	47%	33%	20%

तालिका 11: विभिन्न देशों में नागरिक संहिता की स्थिति

देश	नागरिक संहिता की स्थिति	वर्ष	विशेषता
फ्रांस	नेपोलियन कोड	1804	विश्व की पहली आधुनिक नागरिक संहिता
तुर्की	तुर्की नागरिक संहिता	1926	इस्लामी देश में धर्मनिरपेक्ष संहिता
जापान	जापानी नागरिक संहिता	1898	जर्मन-फ्रेंच मॉडल पर आधारित
गोवा (भारत)	गोवा नागरिक संहिता	1867 (पुर्तगाली)	भारत में एकमात्र राज्य जहाँ UCC लागू था
इजराइल	मिश्रित प्रणाली	1948	व्यक्तिगत कानून धार्मिक, अन्य कानून समान
मलेशिया	द्वैध प्रणाली	1957	मुस्लिमों के लिए शरीयत, अन्य के लिए सिविल लॉ
इंडोनेशिया	मिश्रित प्रणाली	1945	आदत, इस्लामिक और सिविल कानून
मिस्र	मिश्रित प्रणाली	1949	फ्रेंच मॉडल शरीयत (पारिवारिक कानून)

****